SEHDEV PASWAN AND OTHERS v. UNION OF INDIA AND OTHERS *(UM. Kumar, J.)*

न्यायमूर्तिगण एम.एम. कुमार और ई.पी.एस. मान के समक्ष

सहदेव पासवान व अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ वि अन्य, -प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 17482/सीएटी 2006

28 फरवरी. 2011

संविधान भारत, 1950—अनुच्छेद 226—रेल मंत्रालय में कार्यरत ई.डी.पी. कर्मचारियों के लिए वेतनमान में संशोधन—जनगणना विभाग से संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' के संबंध में वेतनमान में संशोधन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया—ईडीपी के बीच वेतनमान की समानता को स्वीकार करने वाले याचिकाकर्ताओं के पक्ष में न्यायिक मिसालें रेल मंत्रालय के कर्मचारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर-याचिकाकर्ता भी उसी वेतनमान के हकदार हैं जो रेल मंत्रालय में समान पद धारक को दिया जाता है-याचिका स्वीकार की गई, ट्रिब्यूनल के आदेश में कहा गया है कि वेतनमान के मामलों को विशेषज्ञ के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए शवों को अलग रखा गया.

अभिनिर्धारित किया गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पलटने योग्य है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकालकर खुद को गलत दिशा दी है कि वेतनमान के मामलों को विशेषज्ञ निकायों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कानून का उपरोक्त प्रस्ताव निर्विवाद है लेकिन यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। आवेदक याचिकाकर्ताओं और रेल मंत्रालय में कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों के बीच वेतनमान की समानता को स्वीकार करने के पक्ष में न्यायिक मिसालें हैं।

(पैरा 28)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने यह विचार किया है कि सभी ईडीपी कर्मचारियों का वेतनमान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसलिए, वेतन आयोग की सिफ़ारिश पर आवेदक-याचिकाकर्ताओं के मामले में अतीत की न्यायिक मिसालें और कानून के सिद्धांत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' जनगणना संचालन निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत हैं। चंडीगढ़ को वही वेतनमान देना होगा जो रेल मंत्रालय में समान पद धारक को दिया जा रहा है।

(पैरा 28)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीपक सिब्बल ।

प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से अधिवक्ता हेमेन अग्रवाल ।

SEHDEV PASWAN AND OTHERS v. UNION OF INDIA
AND OTHERS *(M.M. Kumar, J.)*

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार,

(1) यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर कर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षिप्तता के लिए, 'ट्रिब्यूनल*) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18 अगस्त 2004 (पी-9) मूल आवेदनों जिनमे आवेदक-याचिकाकर्ताओं द्वारा संस्थित किए गए ओ.ए. शामिल हैं, जिसमे वेतनमान की समानता के उनके दावे को अस्वीकार किया है को चुनौती दी गई है।आवेदक-याचिकाकर्ता, जो जनगणना संचालन निदेशालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ग्रेड-बी के रूप में कार्यरत हैं, ने आदेश दिनांकित 6 जनवरी 1998 (पी-4), को भी रद्द करने की मांग की है जिसके तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी का वेतनमान [1]रुपये 1,400-2,300 से 4,500—7,000 बजाय 5,000-8,000 संशोधित कर 1 जनवरी 1996 [7] से प्रभावी किया गया है। 'उन्होंने 28 मई 2002 (पी-5) के आदेश को भी चुनौती दी जिसमे रुपये 5,000-8,000 के वेतनमान के 1 जनवरी 1996 से प्रभावी अनुदान के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।इसके अलावा उत्तरदाताओं को आवेदक-याचिकाकर्ताओं को रुपये 5,000-8,000 के वेतनमान 1 जनवरी 1996 से प्रभावी रखने और ब्याज सहित बकाया का भुगतान करने का आदेश देने के लिए एक परमादेश मांगा गया है।

(3) केंद्र सरकार द्वारा गठित चौथे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों के अध्याय XI में 21 मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (संक्षिप्तता के लिए। * ईडीपी') के 4000 पदों के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं। दरअसल, चौथे वेतन आयोग ने पाया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (गृह मंत्रालय), रक्षा मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में ईडीपी पद थे। योजना आयोग और सांख्यिकी विभाग, में 14 स्तरों पर विभिन्न वेतनमान रुपये 260-400 से रु. 650-950 में थे।. यह आवश्यक महसूस किया गया कि ईडीपी कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से गठित सेवा होनी चाहिए। तदनुसार, ईडीपी और कार्य के अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षित अनुभवी कर्मचारियों का एक कैडर गठित करने की सिफारिश की गई थी। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा किया जाना था।

(4) उपरोक्त सिफारिशों के मद्देनजर, डॉ. एन. शेषगिरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने ईडीपी स्टाफ जो रेल मंत्रालय में रुपये 330-560 यानी वही वेतनमान जो आवेदक-याचिकाकर्ता 1 जनवरी, 1986 से पहले प्राप्त कर रहे थे के लिए रुपये 1,350-2,200 के वेतनमान की सिफारिश की। 11 सितंबर, 1989 को वित्त मंत्रालय ने रुपये 1,350-2,200 के संशोधित वेतनमान को मंजूरी दे दी। विभिन्न राज्यों में जनगणना संचालन निदेशालय के कर्मचारियों सहित भारत के रजिस्ट्रार जनरल के विभिन्न कार्यालयों में लगे ईडीपी कर्मचारियों को 1,350-2,200 रुपये, लेकिन पत्र की तारीख यानी 1 जनवरी, 1986 के बजाय 11 सितंबर, 1989 से प्रभावी होंगे। इसके बाद, 1 सितंबर, 1990 को, रजिस्ट्रार जनरल-क्यूएफ इंडिया ने भी ऑपरेटरों के वेतनमान को रुपये 330-560 से संशोधित कर रु. 1,350-2,200 को 11 सितंबर, 1989 से प्रभावी करने का एक आदेश जारी किया। आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके ऑपरेटर के पद को डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड 'बी' के रूप में फिर से नामित किया गया था। हालाँकि,

---

[1]'सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'सी* अराजपत्रित गैर-मंत्री।

रेल मंत्रालय में कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतनमान रु. 1,350-2,200 को 1 जनवरी 1986 से लागू किया गया।

(5) व्यथित महसूस करते हुए, उड़ीसा राज्य में जनगणना संचालन निदेशालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने रुपये 1,350-2,200 के वेतनमान के 11 सितंबर 1989 के बजाय 1 जनवरी 1986 से प्रभावी कार्यान्वयन का दावा करते हुए ट्रिब्यूनल की कटक बेंच के समक्ष 1991 का मूल आवेदन संख्या 249 दायर किया, जैसा कि रेल मंत्रालय के ईडीपी स्टाफ का मामला में किया गया था

6 अप्रैल 1992 को उनके मूल आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दी गई थी कि वित्त मंत्रालय के तहत जनगणना संचालन निदेशालय में कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों और रेल मंत्रालय में कार्यरत समान कर्मचारियों के बीच संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन की तारीख में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उक्त ओए में सभी आवेदकों को रुपये 1,350-2,200 के संशोधित वेतनमान में 1 जनवरी 1986 से रखे जाने का हकदार माना गया। और अधिकारियों को निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर बकाया राशि की गणना करने और जारी करने का निर्देश दिया गया था। 29 अगस्त 1992 को ट्रिब्यूनल की कटक बेंच के समक्ष समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद भारत संघ द्वारा विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 24415/1994 को भी सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च 1994 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल की हैदराबाद और लखनऊ बेंच द्वारा इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को उक्त निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत करवाने हेतु एक पत्र भेजा। हालाँकि, उपरोक्त संचार में देखा गया कि निर्णय केवल ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदकों के संबंध में लागू किए जाएंगे।

(6) आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने भी समान राहत देने के लिए प्रतिनिधित्व किया और जब उनके दावे को नजरअंदाज कर दिया गया तो उन्होंने ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच का दरवाजा खटखटाया। इन्हें 1 जनवरी 1986 से प्रभावी रुपये 1,350-2,200 के स्केल में रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन 18% की दर से ब्याज सहित बकाया का भुगतान संबंधित ओए दाखिल करने से 18 महीने पहले किया जाना था। असंतुष्ट महसूस करते हुए, आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच द्वारा पारित आदेश को इस न्यायालय के समक्ष 1999 के सीडब्ल्यूपी संख्या 904 (सहदेव पासवान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में चुनौती दी। 12 मई 2000 (पी-2) को इस न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि उन्हें 1 जनवरी 1986 से सभी वित्तीय बकाया जारी कर दिए जाएं।

(7) इसी बीच पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें अस्तित्व में आईं। पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 में उपरोक्त श्वशागिरि समिति की विभिन्न सिफ़ारिशों और मौजूदा ग्रेड आदि का उल्लेख करते हुए पैरा 55.70 में आम तौर पर विभिन्न विभागों में ईडीपी कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यताओं पर ध्यान दिया

और फिर डेटा एंट्री/प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न पदों के लिए वेतनमान की सिफारिश की गई। पैरा 55.70 और 55.71 के प्रासंगिक उद्धरण

पांचवें वेतन आयोग (पी-2/ए) की रिपोर्ट इस प्रकार है:

"55.70 भर्ती योग्यताएं आम तौर पर अलग-अलग प्राप्त होती हैं

ईडीपी स्टाफ के लिए विभागों का सारांश नीचे दिया गया है:

एस। नहीं	पद का नाम	वेतनमान (रु.)	भर्ती योग्यता
1.	आँकड़ा प्रविष्टि संचालक ग्रा. 'ए'	1,150-1,500	डेटा एंट्री कार्य के लिए 10+2 + 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।
2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड. 'बी7 कंसोल ऑपरेटर	1,350-2,200	ग्रेजुएशन + एप्टीट्यूड टेस्ट (रेलवे) या कंप्यूटर एप्लीकेशन/प्रोग्रामिंग आदि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। प्रति घंटे 8000 डिप्रेशन की स्पीड।
3.	आँकड़ा प्रविष्टि' संचालक ग्रा. 'सी	1,400-2,300	पदोन्नति
4.	डाटा एंट्री' ऑपरेटर ग्रेड. 'D7 डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट 'ए'	1,600-2,660	डिग्री + डिप्लोमा/ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाणपत्र (आंशिक सीधी भर्ती)
5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक. ग्रा. 'बी7 वरिष्ठ कंसोल संचालक/वैज्ञानिक सहायक। डब्ल्यू बी'	2,000-3,200	कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या स्टेट/गणित आदि में मास्टर डिग्री + 2 वर्ष या गणित में डिग्री + 4 वर्ष (आंशिक सीधी भर्ती)

XX XX XX xx"

"55.71 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रशिक्षित ईडीपी कर्मियों की देश के साथ-साथ विदेशों में भी बहुत मांग है। ईडीपी कर्मियों के लिए विभिन्न स्तरों के पदों के लिए निर्धारित मौजूदा भर्ती योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है ईडीपी/कंप्यूटर पेशेवरों का पारिश्रमिक। तदनुसार!); हम निम्नलिखित सामान्य वेतन संरचना की अनुशंसा करते हैं:-

पद का नाम	वेतनमान (रु.)	
	मौजूदा	अनुशंसित
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	1,150-1,500	1,320-2,040 ([2])
तथ्य दाखिला प्रचालक ग्रेड 'बी'/कंसोल ऑपरेटर	1350-2,200	1,400-2300 (5)
तथ्य दाखिला प्रचालक ग्रेड 'सी*	1,400-2,300	1,600-2,660
XXX XXX	XXX	

[2]इस पद के लिए भर्ती योग्यता 10+2 और डेटा एंट्री कार्य के लिए 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा, वेतनमान रु. 1,320-2.040 रुपये का निम्न वेतनमान दिए जाने को देखते हुए सामान्य मैट्रिकुलेट को उचित ठहराया जाएगा। 950- 1.500. वेतनमान रु. प्रस्तावित सामान्य वेतन संरचना में डीईओ ग्रेड 'ए* को वर्तमान में मिलने वाले 1.150-1.500 रुपये को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है।

($) कुछ संगठनों में डीईओ ग्रेड 43' डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए प्रारंभिक वेतनमान है। ऐसे संगठनों में डीईओ ग्रेड बी के पद के लिए भर्ती योग्यता स्नातक + एप्टीट्यूड टेस्ट या कंप्यूटर एप्लीकेशन/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + प्रति घंटे 8000 डिप्रेशन की गति है। रुपये का प्रस्तावित वेतनमान। 1.400-2.300 है. इसलिए, संशोधित वेतन संरचना के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित सामान्य सिद्धांतों के आलोक में यह उचित है।"

(8) पांचवें वेतन आयोग ने जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल, भारत, गृह मंत्रालय के विभागों में काम करने वाले ईडीपी कर्मचारियों के लिए पैरा 55.100 से 55.103 तक विशिष्ट सिफारिशें कीं। पैरा 55.102 और 55.103 प्रासंगिक होने के कारण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

"55.102 ईडीपी कर्मचारियों ने (i) डीईओ ग्रेड 'ए' और 'बी' के विलय की मांग इस दलील पर की है कि इन पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां समान हैं, (ii) आरजीआई कार्यालयों में ईडीपी कर्मचारियों के लिए पांच मानक वेतनमान लागू करना , (iii) कनिष्ठ पर्यवेक्षक के वेतनमान (1,400-2,300 रुपये) को रुपये 1,600-2,660 के वेतनमान एनआईसी में समान पद के बराबर में अपग्रेड करना। (iv) वरिष्ठ पर्यवेक्षक (1,640-2,900 रुपये) के पद को डीईओ ग्रेड 'डी' के रूप में पुन: पदनाम और राजपत्रित के रूप में इसका वर्गीकरण, (v) ईडीपी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए राजपत्रित पदों की उपलब्धता और (vi) लचीलेपन की शुरूआत पूरक योजना (एफसीएस)

55.103 हमने आरजीआई कार्यालयों में ईडीपी कर्मचारियों की कैडर संरचना की सावधानीपूर्वक जांच की है। हमारी सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:-

(i) हमारा विचार है कि वेतनमानों की संख्या कितनी होनी चाहिए यह कार्यात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर हैं। हमारी सामान्य अनुशंसाओं और पदों की जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पुन: पदनाम पर विचार किया जाएगा।

(ii) ठहराव को दूर करने और करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए, हमारी सामान्य सिफारिशों के अनुरूप निम्नलिखित वेतन संरचना की सिफारिश की जाती है: -

पदनाम	वेतनमान (रु.)		संख्या पदों
	मौजूदा	अनुशंसित	
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	1,150-1,500	1,320-2,040	288
तथ्य दाखिला प्रचालक ग्रेड बी'	1,350-2,200	1,400-2,300	1152
कनिष्ठ पर्यवेक्षक	1,400-2,300	1,600-2,660	216
वरिष्ठ पर्यवेक्षक	1,640-2,900	1,640-2,900	72
डाटा प्रासेसिंग सहायक द्वितीय	1,600-2,660	1,640-2,900	12
डाटा प्रासेसिंग सहायक-I	नया स्तर	2,000-3,500	12

(iii) चूंकि नियमित ईडीपी कार्य को वैज्ञानिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता, इसलिए हम लचीली कार्यान्वयन योजना द्वारा ईडीपी कर्मचारियों के कवरेज की मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

(9) यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि अपनी रिपोर्ट के खण्ड I भाग-IV खण्ड-! अध्याय 43 में पांचवें वेतन आयोग ने वेतन संरचना पर कुछ सामान्य सिफारिशें कीं। पैरा 43.5 में 'तराजू के विलय' शीर्षक के तहत आयोग ने कई पैमानों का विलय कर दिया क्योंकि मौजूदा पैमाने एक-दूसरे के बहुत करीब थे या क्योंकि आयोग ने कुछ पैमानों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया था। रुपये के तराजू 1,350-2,220 और रु. 1,400-2,300 को भी विलय करने की सिफारिश की गई क्योंकि ये दोनों पैमाने एक-दूसरे के बहुत करीब थे। इसके अलावा, अनुलग्नक 43.1 में पांचवें वेतन आयोग ने और उसके क्रम संख्या 8 पर तालिका दी है रुपये 1,350-30-1,440^10-1,800-50-2,220-1,400-40-1,800-50-2,300 के मौजूदा मानक वेतनमान के विरुद्ध प्रस्तावित वेतनमान रुपये 4,500-125-7,000 का संशोधित मानक वेतनमान प्रस्तावित किया गया है।

(10) इसके अलावा, रिपोर्ट के खंड-II, भाग-IV, खंड 11 में पांचवें वेतन आयोग द्वारा सामान्य श्रेणियों के लिए वेतनमानों के बारे में बताया गया है, जबकि खंड HI में विभिन्न मंत्रालयों में अन्य पदों के लिए वेतनमानों के बारे में बताया गया है। 'भारत के रजिस्ट्रार जनरल' के 'अन्य पदों' का उल्लेख पैरा संख्या 70.5 से 70.8 में मिलता है। क्रमांक 70.8 पर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में ग्रेड संरचना को सुव्यवस्थित करने और कैरियर की संभावनाओं में सुधार करने की दृष्टि से, आयोग ने वेतनमान में संशोधन और संगठन के आंशिक पुनर्गठन के संबंध में कुछ सिफारिशें कीं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन (ईडीपी) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

"(ए) xxx .xxx xxx

(बी) ईडीपी में अन्य पदों का वेतनमान ईडीपी कर्मियों के समान होना चाहिए:

	मौजूदा	प्रस्तावित
(i)से(v)	xxx	xxx
(vi)	कनिष्ठ पर्यवेक्षक रु. 1.600-2.660 (216)	रु. 1.400—2.300
(vii)	डाटा एंट्री ऑपरेटर रु. 1,400-2,300 ग्रेड ""बी'(1152)	रु. 1,350-2,220
(viii)	डाटा एंट्री ऑपरेटर रु. 1,200-2,040 ग्रेड 4ए' (288)	रु. 1,150-1,500

(11) 30 सितंबर, 1997 को, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 'केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 (संक्षिप्तता के लिए, '1997 नियम') नामक नियमों को अधिसूचित किया गया। 1997 के नियमों से जुड़ी पहली अनुसूची के भाग-ए में, रुपये के मौजूदा मानक पैमाने के संशोधन के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश। 1,350-2,200 रुपये से लेकर 4,500-7,000 रुपये तक सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। इसके अलावा, 1997 के नियमों से जुड़ी पहली अनुसूची के भाग-सी में मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ पदों के लिए संशोधित वेतनमान विशेष रूप से दिखाए गए हैं। गृह मंत्रालय का उल्लेख भाग-सी में निहित तालिका के क्रम संख्या XV में मिलता है। उपर्युक्त भाग-सी का प्रासंगिक उद्धरण और 'भारत के रजिस्ट्रार जनरल' और 'जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल,

भारत, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ' के कार्यालयों से संबंधित प्रविष्टियाँ निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत की गई हैं:

"पहली अनुसूची

भाग- सी

मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ पदों के लिए संशोधित वेतनमान

अधिसूचना के इस भाग के कॉलम 2 में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम 4 में उल्लिखित संशोधित वेतनमान सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि कॉलम 4 में उल्लिखित वेतनमान के कुछ मामलों में, वेतन आयोग की सिफारिशें विशिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन हैं। ये शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती नियमों में बदलाव, कैडर के पुनर्गठन, पदों को उच्च ग्रेडों में पुनर्वितरित करने आदि से संबंधित हैं। इसलिए, उन मामलों में जहां भर्ती नियमों में बदलाव आदि जैसी शर्तें वेतन आयोग द्वारा लाई जाती हैं। इन उन्नत वेतनमानों को प्रदान करने के औचित्य के संबंध में, मंत्रालयों के लिए ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेना आवश्यक होगा

1 जनवरी, 1996 से इन पदों पर इन वेतनमानों को लागू करने से पहले वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों से सहमत हों। कुछ अन्य मामलों में जहां कुछ पदों पर इन वेतनमानों को देने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें हैं। जैसे कि कैडर पुनर्गठन, पदों का पुनर्वितरण आदि, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए न केवल इन पूर्व शर्तों को स्वीकार करना आवश्यक होगा बल्कि उन पदों पर वेतनमान लागू करने से पहले उन्हें लागू करना भी आवश्यक होगा। इसलिए, यह देखा जाएगा कि वेतन आयोग की सिफारिशों में यह अंतर्निहित है कि ऐसे वेतनमानों को आवश्यक रूप से संभावित प्रभाव लेना होगा और संबंधित पद तब तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमानों द्वारा शासित होंगे।

एस. आई. नहीं।	पोस्ट	संशोधित स्केल (रु.)	अनुच्छेद प्रस्तुत करते हैं स्केल (रु.)	की संख्या प्रतिवेदन
1	2	3	4	5
XV	<u>गृह मंत्रालय</u> भारत के महारजिस्ट्रार			
1 से 5.	XXX	XXX	XXX	XXX
6.	जूनियर पर्यवेक्षक	1,400^0-1,800-50-2,300	5,000-175-8,000	70.8
7.	डेटा प्रविष्टि ऑपरेटर ग्रेड ए'	1,150-25-1,500	4,000-100-6,000	70.8
8 से 28.		क्सक्सक्स	क्सक्सक्स	क्सक्सक्स

जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल, भारत, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ

29.

30.	कनिष्ठ पर्यवेक्षक	1,400-40-1,800-50-2,300 XXX	5,000-175-8,000	55.103
	xxx	XXX	XXX	xxx [55]

(12) 6 जनवरी, 1998 को (पी-4), भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आरजीआई और डीसीओ के कार्यालय में कुछ पदों के संबंध में उन्नत वेतनमान लागू करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। . उक्त कार्यालय ज्ञापन का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997- आरजीआई और डीसीओ के कार्यालय में कुछ पदों के संबंध में उन्नत वेतनमान का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 का संदर्भ लेने और निम्नलिखित पदों के संबंध में उन्नत संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, जहां पदों का उन्नयन नहीं होता है इसमें भर्ती नियमों में कोई संशोधन या कैडर का पुनर्गठन शामिल है। इन पदों के संबंध में उन्नत वेतनमान 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी होंगे।

	पोस्ट ग्रेड	पूर्व-संशोधित पैमाना		संशोधित स्केल (रुपये)
		मूल (रु.)	उन्नत (रु.)	
1 से 4	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
5.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	1,150-1,500	1,200-2,040	4,000-100- 6,000
6.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'	1,350-2,200	1,400-2,300	4,500-125- 7,000
7.	कनिष्ठ पर्यवेक्षक	1,400-2,300	1,600-2,660	5,000-150-8,000
8 को 11।	**xxx**	**xxx**	**xxx**	xxx"

(13) 23 अक्टूबर, 1998 (पी-3) को, रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने का एक आदेश भी पारित किया। रिपोर्ट के पैरा 55.71 और 55.272 में निहित है। रेलवे बोर्ड के ईडीपी स्टाफ के लिए निम्नलिखित वेतनमान निर्धारित किए गए थे:

"ईडीपी स्टाफ (रेलवे बोर्ड)

एस। नहीं।	डाक	उपस्थित पैमाना	संशोधित
1.	सीनियर डाटा एंट्री ओपेरा से आरएस/सीनियर। इनपुट आउटपुट नियंत्रक	1,400-2,300	5,000-8,000
2.	सामान्य पंच कक्ष पर्यवेक्षक/इनपुट आउटपुट पर्यवेक्षक/कंसोल ऑपरेटर	1,600-2,660	5,500-9,000'

(14) वरिष्ठ पर्यवेक्षकों, कनिष्ठ पर्यवेक्षकों और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी द्वारा उनके वेतनमान को रुपये 5,500-9,000 से 6,500-10,500 रु. 5,000-8,000 से 5,500-9,000 और रु. 4,500-7,000 से रु. 5,000- 8,000 क्रमशः से अपग्रेड करने के लिए कई अभ्यावेदन दिए गए थे। अपने अनुरोधों के समर्थन में, उन्होंने ईडीपी कैडर आदि के संबंध में अन्य विभागों के मामलों का हवाला दिया। 28 मई, 2002 को, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था: -

" इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि Vth Central वेतन आयोग ने ओआरजीजे में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी और जूनियर सुपरवाइजर के पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान को रुपये 1,350-2,200 से रु. 1,400-2,300 और रुपये से. 1,400-2,300 से रु. 1,600-2,660 क्रमश: इन दोनों पदों पर अपग्रेड कर दिया। तथा उन्नत वेतनमान के अनुरूप प्रतिस्थापन वेतनमान प्रदान किये गये हैं। वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद को पूर्व-संशोधित वेतनमान के स्थान पर रु. 1,640-2,900 पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार । वैसे इन पदों के संबंध में पांचवीं सीपीसी की सिफारिशें पहले ही पूरी तरह से लागू की जा चुकी हैं।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ वरिष्ठ पर्यवेक्षक, कनिष्ठ पर्यवेक्षक और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी ने पहले ही अदालतों में ओ.ए. आदि दायर कर अभ्यावेदन में उल्लिखित समान राहत की मांग की है और इसलिए, मामला विचाराधीन है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों, कनिष्ठ पर्यवेक्षकों और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के अभ्यावेदन पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति से संबंधित अभ्यावेदनकर्ताओं को अवगत कराया जा सकता है।

(15) कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 जनवरी, 1998 और आदेश दिनांक 28 मई, 2002 (पी-5) को चुनौती देते हुए, आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच के समक्ष मूल आवेदन संख्या 963/सीएच/2002 दायर किया। चूँकि एक ही मुद्दे पर विभिन्न ओए ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों में लंबित थे, इसलिए, उन्हें नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करने के बाद और हरियाणा राज्य बनाम जसमेर सिंह, (1) श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ, (2) संघ के मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में भारत बनाम प्रदीप कुमार डे, (3) भारतीय स्टेट बैंक बनाम एमआर गणेश बाबू, (4) भारत संघ बनाम तरित रंजन दास, (5) शेर सिंह बनाम भारत संघ, (6) और हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन (7) और श्याम सुंदर शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ट्रिब्यूनल की जयपुर पीठ के फैसले (ओए संख्या 490/2001, 9 मई, 2003 को निर्णय) ने सभी को खारिज कर दिया। दिनांक 18 अगस्त, 2004 के सामान्य आदेश के तहत ओए (पी-9)।

(16) ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल तर्क यह था कि पहले के अवसरों पर रेल मंत्रालय और समान विभागों में काम करने वाले ईडीपी कर्मचारियों के बीच वेतन समानता रही है और किसी भी बाध्यकारी परिस्थितियों के अभाव में समानता को परेशान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तर्क को पुराने रूढ़िवादी सिद्धांत का पालन करते हुए खारिज कर दिया गया है कि यह विशेषज्ञ निकायों के क्षेत्र का मामला है और अदालतें निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि "समान के लिए समान वेतन (1) जेटी 1996(10) एससी 876 (2) (1994)2 एससीसी 521 (3) 2001 एससीसी (एल एंड एस) 56 (4) जेटी 2002 (4) एससी 129 (5) 2004(एल)एससीएसएलजे47 (6) जेटी 1995 (8) एससी 323 (7) जेटी 2002 (5) एससी 189

काम मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक लक्ष्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक से अधिक बार यह माना है कि यह एक तथ्य है जो विशेषज्ञ निकाय के क्षेत्र में आता है और जब तक शत्रुतापूर्ण भेदभाव न हो, न्यायालय/न्यायाधिकरण को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विभिन्न समूहों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना होगा। ”

(17) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का भी अध्ययन किया है। यह सच है कि वेतनमान से संबंधित प्रश्नों को वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालाँकि, जनगणना विभाग में काम करने वाले आवेदक-याचिकाकर्ताओं की तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' को रेल मंत्रालय में काम करने वाले लोगों के साथ वेतनमान में समानता दी गई है। निम्नलिखित तालिका की सहायता से एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है:-

1.1.1986	1.1.1996		
रु. 330-560	रु. 1200-2040 (किए गए सिफ़ारिश पर चतुर्थ द्वारा केंद्रीय वेतन आयोग और भारत संघ द्वारा विधिवत स्वीकृत) रु. 1350-2200 11.9.1989 से प्रभावी निर्देशों पर न्यायालय द्वारा 1.1.1986 से वेतनमान प्रदान किया गया पांचवां केंद्रीय वेतन कमीशन को अपग्रेड कर 1400-2300 रुपये कर दिया गया	रु. 4500-7000	रु. 5000-8000

रेल मंत्रालय

ईडीपी स्टाफ

मैं	द्वितीय	तृतीय
पूर्व 1.1.1986	1.1.1986 से प्रभावी	इस तिथि से 1.1.1996
रु. 330-560	रु. 1200-2040 हालाँकि संशोधित होकर रु. 1350-2200 के लिए 1.1.1986 से इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने रुपये की सिफारिश की। 1400-2300	रु. 5000-8000

(18) यह पहले ही बताया जा चुका है कि ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों जैसे कटक, हैदराबाद, कलकत्ता, एमाकुलम, बैंगलोर, लखनऊ और मुंबई ने घोषणा की थी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' रुपये के

वेतनमान के हकदार थे। 1 जनवरी, 1986 से 1350-2200 रु. इन सभी को 1 जनवरी, 1986 से 11 सितम्बर, 1989 तक बकाया वेतन का लाभ दिया गया। यहाँ तक कि विशेष अनुमति याचिकाएँ भी खारिज कर दी गईं। जब आवेदक-याचिकाकर्ताओं सहित डेटा एंटिटी ऑपरेटर्स ग्रेड 'बी' ने रुपये के संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन का दावा करते हुए विभिन्न मूल आवेदन दायर करके ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच से संपर्क किया। 1350-2200 1 जनवरी, 1986 से, इसे 23 सितंबर, 1998 को निम्नलिखित शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी:

> "इस प्रकार हम रुपये के पैमाने के अनुदान के लिए उपर्युक्त निर्देशों के साथ इन सभी ओए को अनुमति देते हैं। आवेदकों को 1,350-2,220 रुपये 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होंगे। उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त तिथि से अपने वेतन और भत्तों की अनुमानित गणना करें और उन्हें 18 जनवरी, 2019 के भीतर आने वाले महीने से वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान करें। उनके संबंधित OAs दाखिल करने से कुछ महीने पहले, जो इन मामलों के रिकॉर्ड से निर्धारित किए जा सकते हैं। इन बकाए पर वे 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। उनका वर्तमान वेतन और भत्ते ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार संशोधित वेतनमान के आधार पर तय किए जाएंगे।

(19) इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर विचार करते हुए, भारत भूषण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 19367, 1998, अनुलग्नक पी-2) के मामले में दिनांक 12 मई, 2000 को दिए गए फैसले के तहत मंजूरी दे दी। निम्नानुसार देखकर बकाया के संबंध में राहत:

> "वर्तमान मामला वास्तव में कार्यपालिका द्वारा असीमित शोषण का उदाहरण है। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से पता चलता है कि पूरे देश में ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से रुपये के संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। डेटा एंट्री ऑपरेटरों के संबंध में 1,350-2,200 रुपये 1 जनवरी, 1986 से ग्रेड बी है। हालांकि, भारत संघ ने जोर देकर कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले आम तौर पर इस तथ्य के बावजूद लागू नहीं किए जाएंगे कि माननीय को विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। 'ब्ले सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्खास्त कर दिया था. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित कुछ आदेशों ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय रेम में एक आदेश की प्रकृति में थे; अन्य न्यायाधिकरणों ने व्यक्त किया कि आदेश सामान्य थे और व्यक्तिगत आधार पर नहीं थे। ट्रिब्यूनल के एक ए ने यह भी माना कि ट्रिब्यूनल से संपर्क करने में देरी के बावजूद राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा भी हो, अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को एक न्यायालय/न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें लाभ जारी किया जाएगा।
>
> भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में इस देश के नागरिकों को न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा करता है; सामाजिक और आर्थिक. हमारा एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य होने के बावजूद कोई यह नहीं समझ सकता कि कार्यपालिका किसी नागरिक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेतन देने से कैसे इनकार कर सकती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही प्रदान की गई सेवा के लिए संशोधित वेतन 1 जनवरी, 1986 से देय था।

(20) डिवीजन बेंच ने केसी शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, (8) और निम्नानुसार देखते हुए बकाया राशि देने के लिए आगे बढ़े:

> " याचिकाकर्ताओं को उनके वित्तीय बकाया से वंचित कर दिया गया है
> उन्हें 1 जनवरी 1986 से जारी किया जाना चाहिए था,
>
> इन सभी वर्षों के लिए इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को उनके बकाया पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें बकाया राशि जारी नहीं हो जाती। ट्रिब्यूनल द्वारा 23 सितंबर, 1998 को दिए गए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई बकाया राशि याचिकाकर्ताओं को देय राशि से काट ली जाएगी।

(21) यह भी रिकॉर्ड में आया है कि चौथे वेतन आयोग ने 21 मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध ईडीपी कर्मचारियों के 4000 पदों के संबंध में सिफारिशें की थीं। विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में ईडीपी पद थे जो 14 अलग-अलग वेतनमानों में रुपये 260-400 से रु. 650-950 थे। इसमें ईडीपी में लगे कर्मचारियों के लिए एक नियमित कैडर गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई और ईडीपी और अन्य संबंधित बकाया कार्य में प्रशिक्षित अनुभवी कर्मचारियों का एक कैडर गठित करने की सिफारिश की गई। मौजूदा पदों के पुनर्गठन का सुझाव देने और कार्मिक विभाग के परामर्श से समान वेतनमान और पदनाम निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक था। तब तक चौथे वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के अध्याय 8 और 24 में अनुशंसित वेतनमान और विशेष वेतन मौजूदा पदों पर लागू होना था। ऑपरेटर के पद के लिए अनुशंसित वेतनमान रुपये 330-560 से रु. 1,200-2,040 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी था। ।

(22) हमने पहले ही देखा है कि डॉ. एन. शेषगिरी की अध्यक्षता वाली समिति ने रुपये 1,350-2,220 के वेतनमान में काम करने वाले ईडीपी कर्मचारियों के लिए रुपये रेलवे में 330-560 रु. की सिफारिश की थी। वह वेतनमान जनगणना विभाग में कार्यरत आवेदक-याचिकाकर्ताओं को 1 जनवरी, 1986 से पहले ही दिया जा चुका है, हालांकि उत्तरदाता इसे 11 सितंबर, 1989 से देना चाहते थे। हालांकि, आवेदक याचिकाकर्ता सफल हो गए हैं। इस न्यायालय के समक्ष जैसा कि डिवीजन बेंच ने 12 मई, 2000 (पी-2) के अपने फैसले में 1 जनवरी, 1986 से बकाया राशि सुनिश्चित करने के बारे में पहले ही नोटिस कर लिया था।

(23) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने रुपये 1,350-2,200 से रु. 1,400-2,300 के पैमाने को उन्नत किया फिर भी प्रतिवादी-जनगणना निदेशक ने 1 जनवरी 1996 से संशोधन कर रु. 4,500-7,000 कर दिया। 6 जनवरी, 1998 (पी-4) को 1997 के नियमों का हवाला देते हुए और उन्नत संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की मंजूरी से अवगत कराने के लिए सभी संबंधितों को एक पत्र भेजा गया है। 23 अक्टूबर 1998 (पी3) को रेल मंत्रालय, भारत सरकार

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने का आदेश भी पारित किया। ईडीपी स्टाफ जो रुपये 1,400-2,300 के वेतनमान में काम कर रहा था, को रुपये 5,000-8,000 का संशोधित वेतनमान दिया गया है। [पैरा 12 और 13 में उद्धरण देखें]।

(24) इसलिए, यह स्पष्ट है कि ईडीपी कर्मचारी रुपये 1,400-2,300 के असंशोधित वेतनमान में काम कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड में रुपये का संशोधित वेतनमान रुपए 5,000-8,000 दिया गया है, जबकि आवेदक-याचिकाकर्ता, जो उनके समकक्ष हैं, को रुपये 4,500- 7,000का संशोधित वेतनमान दिया गया है। यह कहना एक बात है कि अदालतें काम और कई अन्य कारकों का मूल्यांकन नहीं कर सकती हैं जो विशेषज्ञों पर निर्भर हैं और मामला ऐसे निकायों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है कि विशेषज्ञों ने सभी विभागों के ईडीपी कर्मचारियों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सभी श्रेणियों के लिए समान रूप से संशोधन की सिफारिश की है। उत्तरदाताओं ने रेल मंत्रालय में कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञों की राय का पालन किया है और उन्हें रुपये 5,000-8,000 का संशोधित वेतनमान दिया है। लेकिन याचिकाकर्ता के विभाग से संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' के संबंध में अपनी सिफारिश को प्रभावी करने से इनकार कर दिया।

(25) पुरषोत्तम लाल बनाम भारत संघ, (9) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने समान परिस्थितियों में प्रस्ताव को भेदभावपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया और निम्नानुसार कहा:

> "15. श्री ढेबर का तर्क है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार का काम था और ऐसा करते समय यह निर्धारित करना था कि किन श्रेणियों के कर्मचारियों को संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं। या तो सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में संदर्भ दिया है या नहीं। लेकिन यदि इसने सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक संदर्भ दिया है और यह सिफारिशों को स्वीकार करता है तो यह सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य है। यदि वह केवल कुछ कर्मचारियों के संबंध में रिपोर्ट लागू नहीं करता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। जहां तक इन याचिकाकर्ताओं का सवाल है, सरकार ने यही किया है।
>
> 16 . विद्वान वकील का तर्क है कि इस याचिका को लाने में बहुत देरी हुई है और हमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ देरी हुई है लेकिन इस मामले के तथ्यों पर हमारी राय है कि अनुचित देरी नहीं हुई है, खासकर 23 मार्च, 1967 को अपने पत्र में वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेजों के अध्यक्ष ने कहा था कि बिंदुओं की जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा।

17 . परिणामस्वरूप याचिका स्वीकार की जाती है और निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का संशोधित वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई, 1959 से प्रभावी होगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को जुलाई, 1959 से वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को इस याचिका की लागत वहन करनी होगी।"

26 6) इसी तरह टैनरी फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों में, (10) उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा है:

15 समिति का विचार था कि इसे तर्कसंगत बनाया जाए

विभिन्न उद्यमों में समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के हित में वेतनमान की वर्तमान विषम संरचना की आवश्यकता थी। (पृष्ट 65 पैरा 8.16) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1990) 2 जेटी एससी 255 में, इस न्यायालय ने सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारत में डीए का केंद्र सरकार पैटर्न है, इससे पता चलता है कि भारत सरकार के विभिन्न उद्यमों में चार श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के वेतनमान में समानता होगी, जो केंद्र सरकार डीए का पालन कर रहे हैं। नमूना। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ताओं को भारतीय कपास निगम में कार्यरत उपरोक्त चार श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के साथ वेतनमान के मामले में समान समानता से वंचित किया जाना चाहिए, खासकर जब ऐसे कर्मचारी थे

हम 1970 के समान वेतनमान वाले हैं। इसलिए, यह विचार करते हुए कि प्रतिवादी-निगम में ऊपर उल्लिखित चार श्रेणियों में आने वाले संघीकृत कैडर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए कि वह ऐसे वेतनमानों के बराबर हो। भारतीय कपास निगम में कार्यरत कर्मचारी।

16 यहां हम पदों के समीकरण से चिंतित नहीं हैं क्योंकि प्रतिवादी निगम के साथ-साथ भारतीय कपास निगम में कर्मचारियों की उपरोक्त चार श्रेणियों में आने वाले पद समान स्तर के हैं और इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतनमान प्राप्त था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि 1970 के बाद दोनों निगमों में इन पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्यों और कार्यों में कोई बदलाव हुआ है जो दोनों निगमों में इन पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने को उचित ठहरा सकता है। इसलिए, 25 अप्रैल, 1986 के आदेश द्वारा संशोधित याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 25 अप्रैल 1986 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को

याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को इस प्रकार संशोधित करना चाहिए कि वह भारतीय कपास निगम में उसी श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान के बराबर हो, जिस तारीख से उक्त संशोधित वेतनमान लागू किया जाना है। याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन 1 अगस्त 1983 से लागू किया गया है और 31 जुलाई 1987 तक वैध है। याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन 1 अगस्त 1983 को भारतीय कपास निगम में समान श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान और भत्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। और ऐसा संशोधन 31 जुलाई 1987 तक लागू किया जा सकता है जैसा कि 25 अप्रैल1986 के आदेश में प्रावधानित है।"

(27) हमारा यह भी मानना है कि एक बार जब एक पद को दूसरे के समकक्ष माना जाता है तो एक कैडर के संबंध में संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे पद का संशोधन स्वतः ही हो जाएगा। उस संबंध में डॉ. सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, (11) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया जा सकता है ।

(28) उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उलटा होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकालकर खुद को गलत निर्देशित किया है कि वेतनमान के मामलों को विशेषज्ञ निकायों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कानून का उपरोक्त प्रस्ताव निर्विवाद है लेकिन यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा से स्पष्ट है। आवेदक-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उनके और रेल मंत्रालय में कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों के बीच वेतनमान की समानता को स्वीकार करने के पक्ष में न्यायिक मिसालें हैं। जब आवेदक-याचिकाकर्ताओं को 11 सितंबर, 1989 से उच्च वेतनमान देने का प्रयास किया गया तो वे 1 जनवरी, 1986 से उसी वेतनमान की राहत प्राप्त करने में इस न्यायालय के समक्ष सफल हुए जैसा उन्हें दिया गया था। रेलवे विभाग में कार्यरत ईडीपी स्टाफ को। वर्तमान में पदों के कार्यों और कर्तव्यों की तुलना का प्रश्न न्यायालयों के निर्णय पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि विशेषज्ञ निकायों और सरकार द्वारा स्वयं तय किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्तरदाताओं ने निश्चित रूप से इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क उठाया होता जब आवेदक-याचिकाकर्ताओं और ईडीपी कर्मचारियों के कार्यों और कर्तव्यों में भिन्नता के संबंध में 12 मई, 2000 (पी-2) का निर्णय सुनाया गया था। रेलवे के साथ काम कर रहे हैं. इसके अलावा, चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने यह विचार किया है कि सभी ईडीपी कर्मचारियों का वेतनमान एक-दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसलिए, वेतन आयोग की सिफारिश, स्वयं आवेदक-याचिकाकर्ताओं के मामले में पिछले न्यायिक उदाहरणों और कानून के सिद्धांतों के आधार पर, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि जनगणना संचालन निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी', चंडीगढ़, वही वेतनमान देना होगा जो रेल मंत्रालय में समान पद धारक को दिया जा रहा है।

(29) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, यह याचिका सफल होती है। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित 18 अगस्त, 2004 के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है। उत्तरदाताओं को रेलवे मंत्रालय में

कार्यरत ईडीपी कर्मचारियों को दिए गए वेतनमान के बराबर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी को वेतनमान जो की रुपए 5,000-8,000 है 1 जनवरी 1996 से प्रभावी कर का निर्देश दिया गया है । इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(30) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है।

आर.के.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक-याचिकाकर्ता जनगणना संचालन निदेशालय में ऑपरेटर ग्रेड-बी (आमतौर पर 'डेटा एंट्री ऑपरेटर* के रूप में जाना जाता है) के रूप में काम कर रहे हैं। यूटी. चंडीगढ़. दिनांक 7/14 दिसंबर की अधिसूचना द्वारा। 1984. वैधानिक' नियमों को 'रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय' के रूप में जाना जाता है। भारत और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना संचालन निदेशालय के कार्यालय (संचालक) भर्ती
नियम। 1984 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') को (पी-1) शीर्षक दिया गया था। ये नियम रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में ऑपरेशन के पद पर लागू थे।
भारत, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना संचालन के निदेशकों के प्रत्येक कार्यालय को अलग और एक स्वतंत्र इकाई माना गया है, जैसा कि नियमों से जुड़ी अनुसूची के परिशिष्ट में निर्दिष्ट है।
उक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए
7 पंचिंग/अंग्रेजी टाइपराइटिंग के ऑपरेटर के रूप में दक्षता , जिसका मूल्यांकन एक निर्धारित योग्यता परीक्षा के माध्यम से किया जाना था। नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यह भी प्रावधान किया गया है कि वेतनमान रु. ऑपरेटर पद के लिए 330-10-38O-EB-12- 500-15-560 उक्त पोस्ट को इस

प्रकार वर्गीकृत किया गया था